Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 180-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 13, 2017 (ASVINA 20, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 अक्तूबर, 2017

संख्या 101/एसटी–2.– हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, उन वस्तुओं की राज्य के भीतर आपूर्ति पर, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के खाना (3) में विनिर्दिष्ट किया है, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष के तत्संबंधी प्रविष्टि के टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, में विनिर्दिष्ट के अनुसार खाना (2) में संबंधित प्रविष्टि, नीचे दी गई सारणी के खाना (4) में राज्य कर की दर तथा खाना (5) में विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन हों, को अधिसूचित करते हैं, अर्थात्:–

सारणी

क्रम संख्या	अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर	शर्त संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	87	मोटर व्हीकल	हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी–2 दिनांक 30 जून, 2017 में अधिसूचित, ऐसे माल पर लागू राज्य कर की दर का 65 प्रतिशत	1
2	87	मोटर व्हीकल	हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी–2 दिनांक 30 जून, 2017 में अधिसूचित, ऐसे माल पर लागू राज्य कर की दर का 65 प्रतिशत	2:

परन्तु इस अधिसूचना में दी गई कोई भी बात प्रथम जुलाई, 2020 को या उसके बाद लागू नहीं होगी।

व्याख्या.– इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,–

(i) इस अधिसूचना में उल्लिखित, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से अभिप्राय होगा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय।

(ii) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची की व्याख्या से संबंधित नियम, जिसमें इस प्रथम अनुसूची के खंड और अध्याय नोटस और सामान्य व्याख्या और टिप्पण भी शामिल हैं, इस अधिसूचना की व्याख्या के लिए भी लागू होंगे।

अनुबंध

शर्त संख्या	शर्त
1	मोटर वाहन को पट्टाकर्ता ने प्रथम जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसे प्रथम जुलाई, 2017 से पहले पट्टे पर दिया हो।
2	(i) मोटर वाहन का प्रदायकर्ता कोई पंजीकृत व्यक्ति हो। (ii) ऐसा प्रदायकर्ता जिसने मोटर वाहन को प्रथम जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसने उस पर भुगतान किये गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट न लिया हो।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 13th October, 2017

No. 101/ST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies the state tax on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), of the Table below, at the rate specified in corresponding entry in column (4)and subject to relevant conditions annexed to this notification, if any, specified in the corresponding entry in column (5) of the Table aforesaid:

Table

Serial Number	Chapter, Heading, Sub- heading or Tariff item	Description of Goods	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	87	Motor Vehicles	65% of State tax applicable otherwise on such goods under Haryana Government, Excise and Taxation Department Notification No. 35/ST-2, dated 30th June, 2017.	1
2.	87	Motor Vehicles	65% of State tax applicable otherwise on such goods under Haryana Government, Excise and Taxation Department Notification No. 35/ST-2, dated 30th June, 2017.	2

Provided that nothing contained in this notification shall apply on or after 1st July, 2020.

Explanation.— For the purposes of this notification, -

(i) "Tariff item", "sub-heading" "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

ANNEXURE

Condition No.	Condition
1.	The Motor Vehicles was purchased by the lesser prior to 1st July, 2017 and supplied on lease before 1st July, 2017
2.	i. The supplier of Motor Vehicle is a registered person. ii. Such supplier had purchased the Motor Vehicle prior to 1st July, 2017 and has not availed input tax credit of central excise duty, Value Added Tax or any other taxes paid on such vehicles.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.

55677–C.S.–H.G.P., Chd.